

tributory of Wardha river has breached. But, the Irrigation Department of Maharashtra has confirmed that the Minor Dam at Nakthan is intact and has not added to the rush of waters that affected the Mohad Village.

The District Collectors and other Senior Officers of the Government of Maharashtra have reached the affected areas and have started immediate relief operations. Army has been called in for rescuing the marooned population of Mohad Town and they have commenced their work.

According to the reports received from the Orissa State Government, due to heavy rainfall of about 900 mm in the catchment area of River Indravathi, there have been heavy floods in the river. The Upper Indravathi Project located in the district Kalahandi is under construction. The Cofferdam built for protecting the construction work-site was over topped due to which waters rushed into the headrace tunnel under construction for the power house.

In the tunnel, as per first information received from the Additional District Magistrate, the work was being carried out by about 27 workers. However, according to the latest information received from the State Government only 15 persons were working in the tunnel. The District authorities immediately started rescue operations on the 29th July and 7 dead bodies of the workers are reported to have been recovered by 30th July, 1991. The Minister of State, PWD and the State Engineer-in-Chief have gone to the site on 30th July, 1991 and are organising rescue and relief operations. The State Government have decided to give Rs. 25,000/- to each family of the dead persons as well as a suitable job to one member of the family of the deceased. Further, a High Level Committee headed by the Development Commissioner, Orissa, alongwith a panel of engineers has been formed to enquire into the said incidence.

II. Increase in the rates of Royalty on Coal

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): Sir, Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 empowers the Central Government to levy as also enhance the rates of royalty on minerals. Before February, 1987 the rates could be enhanced one in four years. Subsequently the Act has been amended and rates of royalty can now be enhanced every three years.

The rates of royalty on coal were last revised in February, 1981. The next revision could have taken place in February, 1985. However, the rates had not been revised until now because most of the coal producing states were levying very high rates of cesses on coal. These cesses differed from State to State and the total income to the various State Governments from these cesses was many times more than the income from royalty.

Since the rates of cess were very high, some petitioners approached the courts. In a judgement dated 26.10.1989 in the case of India Cement versus State of Tamil Nadu, the Supreme Court held that State Governments are not competent to levy a cess on minerals or mineral rights. Following this judgement, other courts have also been striking down the cesses levied by other States.

Since the income from cesses to the State Governments was quite substantial the finances of coal producing State Governments were affected adversely by these decisions of the Courts. They had, therefore, approached the Central Government to enhance to rates of royalty.

In the case of State of West Bengal the levy of cesses at high rates is being continued except in cases where the consumers have obtained stay orders. Similarly in the case of Assam, also the levy of cess at high rates is being continued.

[Shri P. A. Sangma]

The Government has since considered the matter and has decided to revise the rates of royalty on coal, keeping in view the substantial loss of income to the States as a result of State cesses having been stuck down. The salient feature of this revision is that the average rate is being revised to approximately Rs. 70 per tonne. The superior quality coal attracts higher incidence of royalty both from the point of view of conservation of these coals and higher clarific value of these coals. The revised rates will come into effect from the date of their publication in official Gazette. The proposed rates are not being made applicable as of now to the States of West Bengal and Assam for the reason that they are continuing to levy and collect cesses on coal. As soon as the cesse in these two States are withdrawn, the new rates will be made applicable to them also. The details of the revision of royalty on coal will be laid on the Table of the house.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Now I have got a huge list of Members for clarifications on the statement. There are 24 hon. Members. I would only request the Members, don't make a speech, only ask questions, seek clarifications. First Ram Awadeshji.

राम अवधेश सिंह जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ और आपका नाम लिखा है। मैं यह प्रार्थना करूँगा कि आप जो शुरुआत करें तो भाषण से अधिक आप क्लैरिफिकेशन और प्रश्नों पर जायें।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, यह बयान मंत्री जी का है, इस बयान से अपने आप स्पष्ट होता है कि जो कानून बनाया गया कि हर चार साल पर और बाद में उसमें अमेंडमेंट करने के बाद हर तीन साल के बाद रायल्टी का रिवीजन होगा और उसके अनुसार रेट तय होगा। लेकिन कोयले के ऊपर केन्द्रीय सरकार कितनी सजग थी, या कितनी उपेक्षा रखती

थी, कोयला उत्पन्न करने वाले राज्यों के रेवेन्यू के प्रति कितनी उपेक्षा की दृष्टि थी, यह मंत्री जी के बयान से मालूम होता है कि दस साल तक कोई रिवीजन नहीं हुआ।

तो 1981 के बाद जो 1985 में रिवीजन होना था, वह नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ, मतलब कि जो तीन साल में रिवीजन होना था, वह दस साल तक भी रिवीजन नहीं हुआ।

तो, मैं मंत्री जी से यह पहली सफाई जानना चाहता हूँ कि दस साल पहले 1981 में कण्टे का जो रेट था, उस रेट के हिसाब से आज का जो रेट है, उस रेट से क्या रायल्टी दे रहे हैं, क्योंकि 1981 में फर्ज कर लीजिये कि पचास रुपये टन कोयला था और आज इसका रेट पांच सौ रुपया हो गया, तो दस गुना अगर रेट बढ़ गया है, तो क्या दस गुना रायल्टी भी बढ़ाई जा रही है या नहीं? इससे एक बात तो साफ होनी चाहिये।

दूसरी बात, जो लास्ट में उन्होंने कहा है कि सेंस को कंटेनर कर रहे हैं इनके बयान में जो लास्ट पैराग्राफ है छटा, उसमें मंत्री जी ने... मंत्री जी... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): आप इधर बात कर रहे हैं। मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी मेरी बात सुनें।

उपसभाध्यक्ष जी, जो उन्होंने कहा कि एवरेज 70 रुपये प्रति टन के हिसाब से यह बढ़ोतरी की जा रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज कितने रुपये टन के हिसाब से एवरेज है और हर ग्रेड के कोयले पर कैसे — ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड पर कैसे — और साथ ही साथ जो कोकिंग कोल है, जो सुपीरियर

क्वालिटी का है, उस पर कितना — अलग-अलग से रेट बताने की कृपा करें। पहले कितना था, बाद में कितना है और आगे कितना होगा और उसका अनुपात, जिस उस अनुपात से कोयले की कीमत बढ़ी है, उस अनुपात से क्या कोयले की रायल्टी बढ़ रही है?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ, मान्यवर, कि केवल सेस के हटाने से जो रकम हमको, चाहे जो कोयला पैदा करने वाले राज्य हैं, तो सेस को हटाने से जो क्षति हुई है, हमारे राज्य में, केवल उसकी भरपाई की जा रही है या हमको कुछ अधिक लाभ भी मिलेगा, जो घाटा है? जैसे टर्नेज से हमको घाटा है। हम चाहते हैं कि जैसे पेट्रोलियम का है कि उसके सेल वेल्यु के प्रतिशत पर हमको दिया जाता है। रायल्टी आज 37 प्रतिशत कम से कम रायल्टी पेट्रोलियम पर मिलती है और कोयले की सेल वेल्यु से बिक्री की दर से कितने फीसदी रायल्टी हमको मिलती है, हम जानना चाहते हैं? हमारी मांग है कि कम से कम 50 फीसदी कोयले की सेल वेल्यु से रायल्टी मिलनी चाहिये। इससे कम मिलने पर हमारा शोषण होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि टर्नेज में न मंत्री जी बोलें, हमको यह बताये कि जो बिक्री मूल्य मैं, उससे हमको कितने फीसदी... (व्यवधान) हमारे साथी एड वोलेरम कह रहे हैं हम उसको हिन्दी में बोलते हैं, यद अंग्रेजी में बोलते हैं... (व्यवधान)... बिक्री मूल्य ही तो कह रहा हूँ, आप नहीं समझते? ये तो बिक्री मूल्य कितनी दर से कह रहा हूँ। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो एड वोलेरम बोल रहे हैं। हम भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम हिन्दुस्तानी भाषा बोल रहे हैं।... (व्यवधान) बिक्री मूल्य पर बताइये, मान्यवर मैं यह जानना चाहता हूँ? चूंकि आपने कहा कि कन्फाइन करिये, मैं कन्फाइन कर रहा हूँ। लेकिन एक बात और जानना चाहता हूँ कि, इनका सालाना 190 मिलियन टन कोयला पैदा होता है। 190 मिलियन टन में इनकी

आय कितनी है, टोटल ग्रामदनी कितनी होती है और इनका खर्चा कितना है? जो मेजर हैड्रज हैं, जैसे मान लीजिये, बीयर एण्ड टीयर पर क्या है, पेयर पाटर्स पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पर क्या है, वेजेज पर कितना है, रिसर्च एण्ड डिवलपमेंट पर कितना है और बाहर से इम्पोर्ट करके कितने रुपये की यह मशीनरी मंगाते हैं, इसका हमको पता चल जाये कि कितना इनको लाभ है और कितना इनको नुकसान है? असली आय कितनी हो रही है और उससे हानि कितनी हो रही है? क्योंकि इसमें कोल इण्डिया को घाटा लगाने वाले कुछ कुछ जीव-जन्तु वहां मौजूद हैं और जान-बूझ कर घाटा लगाये जाते हैं। ये मेरे मोटे-मोटे सवाल हैं।

मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इनके मंत्रित्व काल में कोल इण्डिया का जहां 45 फीसदी बिहार में कोयला पैदा होता है, बिहार के एक आदमी को इन्होंने कोल इण्डिया का चेयरमैन बना दिया और इसमें इन्होंने मदद की, इसके लिये ये इनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे राज्य से आता हूँ, जहां भारतवर्ष का सब से ज्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है। 1990 और 1991 की जो कोयले की प्रोडक्शन हुई है, 211.63२ मिलियन टन उसमें बिहार का कोयले का उत्पादन 67.488 मिलियन टन है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है आज तक बिहार की भूमि से इतना कोयला निकाला गया और 1973 में जबकि कोयले की कीमत साढ़े 37 रुपये प्रति टन थी, उस वक़्त से आज तक जो कीमते बढ़ी हैं वह करीब 664 परसेंट कीमत बढ़ाई गई है, 249 प्रति टन आज की डेट में कोयला है। अगर रायल्टी और सेस की बात जिस पर विचार करके इन्होंने फैसला लिया है अगर उस पर सोचा जाए तो कोयला विभाग ने आखिर राज्यों को दिया क्या है? आज तक जो रायल्टी मिलती थी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

वह 40 पैसे से लेकर तीन रुपए तक बेरी करती थी। 1973 तक और 1981 में जब रायल्टी को बढ़ाया गया उस वक्त हाई रुपए से ले कर सात रुपए में बेरी करती थी जिसका एवरेज रायल्टी का 5 रुपए 30 पैसे प्रति टन आता था।

महोदय, 67.488 मीट्रिक टन कोयले पर एवरेज के हिसाब से ये बिहार को रायल्टी देते थे 5 रु० 30 पैसे प्रति मीट्रिक टन पर और उसके ऊपर जो भी सेस लगता था और ये जो केसेज हुए हैं तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम पर, मुझे नहीं पता कि उनके उपकर की दर क्या थी और क्या वह उपकर बिहार से ज्यादा था, उन चीजों को मद्दे नजर रखने हुए आपने उपकर को समाप्त कर दिया, पर जो रायल्टी हमें मिलती थी और जो उपकर हमारा बिहार राज्य लेता था, उसकी पूरी बेल्यू कितनी बनती थी और वह बेल्यू कितनी आपने भुगतान की है और कितनी देनी बाकी है? उपसभाध्यक्ष महोदय इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो उपकर की समाप्ति की गयी है, यह स्टेटवाइज जो बेरी करते में, जिसमें बहुत छोटे से राज्य भी जैसे आसाम बहुत कम कोयला उत्पादन करता है, किंतु उसका केस हुआ है या तमिलनाडु जोकि बिहार की बनिस्वत बहुत कम कोयले का उत्पादन करता है, वहां केस हुआ है, उसको लेकर अगर आपने सेस की प्रथा हटा दी है और यह जो 70 रुपए प्रति मीट्रिक टन रायल्टी का हिसाब लगाया है, तो इसका क्या हिसाब है क्योंकि पहले जो कोयले की रायल्टी फिक्स अप होती थी वह ग्रुप वन कोयले के हिसाब से, वूकिंग कोल, स्टील ग्रेड, स्टील ग्रेड-2, सवामरी ग्रेड, हैंड पिंग कोल, ग्रुप-2 कोल, ग्रुप-3 कोल, ग्रुप-4 कोल, ग्रुप-5 कोल या ग्रुप-6 कोल के हिसाब से, तो ये जो डिफरेंट कटेगरीज जोकि कोयले की कैलोफेरिक बेल्यू पर डिपेंड करती है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कि हर तरह के कोयले का उत्पादन होता है, इन चीजों पर विचार

करते हुए आपने क्या रेट फिक्स किया है और उसका एवरेज क्या आता है? यह मैं मंत्री महोदय से जानने की इच्छा जाहिर करता हूं। मंत्री जी यह बताने की कृपा करें क्योंकि स्टेटमेंट से यह जाहिर नहीं होता है कि 70 रुपए प्रति मीट्रिक टन रायल्टी किस कोयले के लिए कही गयी है क्योंकि मैं देखता हूं कि जहां हाय सल्फर परसेंटेज या हाय एश परसेंटेज जिस कोयले में है, उसको भी वही 70 रुपए प्रति मीट्रिक टन पर रायल्टी मिलेगी और बिहार में जहां कि अच्छे ग्रेड का कोयला उत्पादन होता है, उसको भी वही रायल्टी मिलेगी। तो इसमें मुझे कुछ गलत चीजें नजर आ रही हैं। महोदय, वैसे यह 5 रुपए 30 पैसे में 70 रुपए पर लाए हैं, यह एक सराहनीय कदम है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार को यह सेस कितना पे करते थे और रायल्टी कितनी पे करते थे और उसमें ये टोटल एमाउंट कहीं एफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है क्योंकि आज हमारी मांग है कि पिछले 10 सालों में जबकि 5 बार रायल्टी की कीमत बढ़नी चाहिए थी, वह नहीं बढ़ी है और जो उपकर भी पे करना चाहिए था राज्य सरकार को वह पूरा पे नहीं किया गया है। तो मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किन-किन राज्यों का कितना उपकर देय था जो नहीं किया गया और कितना बाकी है? कितना अनुदान किया गया है और कितना बाकी है और हमारे राज्य को उपकर का यह प्रावधान विद्वान करने के बाद हमें कितना फायदा और नुकसान हो रहा है, यह बताने की कृपा करेंगे?

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Sir, the statement of the honourable Minister is not clear in certain respects. It is not clear as to who the petitioners were and what the actual judgment was. For example, in para 5 of the statement, it has been said that in the case of West Bengal the levy of cesses at high rates is being continued except in cases where the consumers have obtained stay orders. How many consumers obtained these stay orders and who are they?

Now, my next point is about the applicability of the order to States like West Bengal and Assam. It has been said in the last para of the statement, "As soon as the cesses in these two States are withdrawn, the new rates will be made applicable to them also." Now, why have they taken such a decision? The cess that was levied on the coal companies was absolutely justified and I think that had the case been properly defended before the Supreme Court, the Judgment would have been otherwise. I am sorry, the Government failed in this respect.

Now, the question of cess has come in the coal area not just now, but long long ago, since the inception of the collieries. The coal industry is such an industry that it devastates the whole areas, it makes it impossible for the people to live there, it make it impossible for any development work to take place there and, as you know personally, Sir, in the coal-bearing States, half the areas are becoming unsuitable for living or for any kind of economic activity. In such States, what will the State Governments do if they do not have sufficient returns from this economic activity, that is, mining and if the Government which now owns these companies, these properties is not ready to share the profit, share the benefits of production, with the State Governments? It is not that the State Governments have put the cess want only. For example, in West Bengal, if the cess had not been there, there would have been no other means to serve the people, to serve the workers. So, I think the Government should review the whole thing and fix new rates of royalty including cess which is being collected now in all these States and further revise them so that they may be appropriate, so that they may be suitable, for the present purpose, for the present period.

Royalty and cess are being assessed on the total price that the companies get. But, in coal mining, the cost of production is higher and I think it is worth considering that the cess or royalty should be imposed on the cost

of production because that way we can help the States somewhat better.

It is also not clear from the statement whether the incidence of royalty would be higher in the case of superior quality of coal. This should have been made clear in the statement. Otherwise, we cannot form a full view of the implications of the statement that the Minister has made. I feel that the Supreme Court award, if not suitably amended or modified to serve the interests of the States, would affect the revenues of the States very adversely. Therefore, I feel that the honourable Minister should immediately have a dialogue with the State Governments and, in consultation with the State Governments, he should fix the new rates of royalty and the cess so that the interest of the States are not compromised, but protected.

With these words, Sir, I conclude.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Sir, it is mentioned in the statement that since income from cesses to the State Government was quite substantial the finances of coal producing State Governments were effected adversely by these decisions of the Courts and they therefore approached the Central Government to enhance the rates of royalty. But several State Governments did not have abundant confidence in the Central Government and they are sceptical. In the past also there have been instances where there is a problem of jurisdiction between the Central Government and the State Governments in States where other parties—different from the party which is functioning at the Centre are working. It is also stated that the courts say that this cess may be transferred from the State Governments to the Central Government not only in respect of coal but in respect of granite, bauxite, gypsum, mica; etc. Is it contemplating taking away the subject of minerals and metals from the State pool and getting back to the

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

Central pool and, if it is so, how is it going to be divisible. If it is divisible, then what is the ratio to the State Government and what is the ratio to the Central Government and how are they going to distribute the collection charges? Are they going to distribute these on pro rata basis, on the basis of population? Are you going to apply the Gadgil formula to it, and will it come under the purview of the Finance Commission? How are you going to tackle all these problems? I would like to know from the hon. Minister.

I would like to know how many States approached the Central Government in this regard, which are the States which wrote to them, which of them approached the Central Government? I would also like to know what is the ultimate impact on the cost of production? What is the ultimate impact on the sale price of coal? Are you going to enhance this price? Will it have any bearing on the cost price?

It may be added here that we are producing 100/million metric tonnes coal in this country every year, whereas Australia produces 150 million metric tonnes per annum. But I am sorry to state that to produce 100 million metric tonnes in this country we are engaging 3 lakh workers in the coal mines, whereas Australia, to produce 150 million metric tonnes, are engaging 30,000 workers only. So in this regard what steps have been taken by the Government to augment... (Interruptions).

What steps have been taken by the Government to enhance the coal production per head as well as to reduce the cost of production in this country? Is it a fact that Coal India produces the costliest coal in the world? If so, what are the figures and what are the related figure in other countries?

I would like to know this from the hon. Minister.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : मान्यवर, हमारे देश में चार ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहाँ कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है जिसमें सबसे ज्यादा बिहार में, जैसा सेरे मित्र श्री अहलवालिया जी ने बताया कि वह 67.488 मिलियन टन होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का नम्बर आता है, यहाँ कोयले का उत्पादन 65.361 मिलियन टन होता है। इसके बाद झारखंड प्रदेश में 17.708 और वेस्ट बंगाल में 17.002 मिलियन टन होता है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कोयले पर कितनी रायल्टी मिले तीन सालों में इन चार राज्यों में प्रदान की गयी? साथ ही 1990-91 में कोयले की कीमत पर रायल्टी का अनुपात क्या है, उसका रेशो क्या है, जबकि 1973 में यह 23:1 था। मान्यवर, सरकार क्या यह प्रयास करेगी जैसा कि अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में उप करों की जो दर है वह अलग-अलग हैं, तो क्या सरकार का यह प्रयास होगा कि सभी राज्यों में उप करों की दर समान हो और रायल्टी की दरों में वृद्धि जैसा वक्तव्य में बताया गया कि तीन वर्षों में की जा सकती थी तो क्या जब तीन वर्ष पूरे हों गये तो उस समय क्या ऐसा प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया था और क्या इस सम्बन्ध में उन राज्य सरकारों से चर्चा की गयी थी जहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है और अगर की गयी थी तो उस समय क्या प्रतिक्रिया है और अब यह वृद्धि करने जा रहे हैं तो क्या राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में चर्चा की गयी है और अगर की गयी है तो किन-किन राज्य सरकारों की क्या-क्या प्रतिक्रिया है?

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, my first clarification is this: As per the statement, the revised rate of royalty is Rs. 70 per tonne. So, what is the existing rate of royalty? How much loss the Coal India Limited is going to incur by increasing the royalty? Then, the second clarification I would like to seek is: What is the present rate of coal per tonne? What was the rate in 1981? Is the increase in the royalty on par with the

increase in the price of coal? Thirdly, Sir, already the Coal India Limited is in losses. The accumulated loss is Rs. 2,500 crores at present. By increasing the royalty, the losses will further increase. So, how is the Coal India Limited going to reduce the losses? is it by improving the efficiency and upgrading the technology or by throwing the burden on the people? Fourthly, Sir, already the Coal India Limited has submitted a proposal for increasing the price of the coal to the Government of India. But the hon. Minister, while inaugurating a Coal Museum at Ranchi recently, stated that there is no proposal to increase the price of coal. Is the Government going to stick to this statement by the Minister?

Sir, there is a severe coal crunch in the country. It is because of poor planning and lack of coordination between the coal industry and the Railway Ministry, and because of this so many industries are on the verge of closure. So, how are you going to coordinate between the coal industry and the Railway Ministry? Sir, these are the clarification that I would like to seek from the hon. Minister.

श्रीमती सुशमा स्वराज (हरियाणा) :
उपसभाध्यक्ष जी, आज जब कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन संबंधी वक्तव्य कोयला मंत्री ने सदन में पढ़ा तो एक बहुत ही सुखद संयोग में देख रही हूँ। कोयला मंत्री स्वयं एक ऐसे प्रदेश मेघालय से आते हैं जो कोयले के उत्पादन में अग्रणी है और उपसभाध्यक्ष के आसन पर आप विराजमान हैं जो ऐसे प्रदेश से आते हैं जो रायल्टी की दर में कमी होने के कारण सबसे ज्यादा तस्त है और शायद यही कारण है कि...
(व्यवधान)

विपक्ष के नेता (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : उपसभाध्यक्ष जी, अब तो आप हँस दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) :
मैं हँसूंगा तब जब वह अशुभावचल का भी जिक्र करेंगी।

श्रीमती सुशमा स्वराज : शायद यही कारण है कि एक बहुत ही सार्थक चर्चा का माहौल सदन में बना। हर सदस्य केवल क्लेरिफिकेशन पर स्पष्टीकरणों तक अपने आपको सीमित कर रहा है और बहुत ही पैसे और धारदार स्पष्टीकरण संधे-संधे मंत्री जी ने पूछ रहा है, शायद पहली बार क्लेरिफिकेशन के उपर इस तरह का माहौल में देख रही हूँ। इसीलिए मैं इस संयोग के बारे में कहना चाहती हूँ।

इसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए मैं दो-तीन सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) ऐक्ट 1957 केन्द्र सरकार को यह शक्तियाँ प्रदान करता है कि यह रायल्टी की दरों को निर्धारित करे, उसमें वृद्धि करे। पहली उसमें यह प्रावधान था कि 4 साल में एक बार वृद्धि की जा सकती थी लेकिन बाद में उस अवधि को 3 वर्ष का कर दिया गया। महोदय, आज स्थिति यह है कि कोयले के बिक्री मूल्य में ती वृद्धि होती चली आ रही है और रायल्टी आप केवल 70 रुपए प्रति टन के हिसाब से दे रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या मंत्री जी इस धारा में कोई ऐसा संशोधन लाएंगे कि जब कोयले के बिक्री मूल्य में वृद्धि हो तो उसके साथ ही साथ उस वृद्धि के एक खास परसेंटेज के रूप में कोयले की रायल्टी में भी वृद्धि कर दी जाए। अभी तो इस धारा में यह प्रावधान है कि 3 वर्ष में एक बार रायल्टी की दरों में वृद्धि की जा सकती है। अगर वे कोई ऐसा संशोधन इस धारा में कर दें तो आपको बार-बार रायल्टी की दर में वृद्धि नहीं करना पड़ेगा। ऐसी हालत में जैसे ही कोयले के मूल्य में वृद्धि होगी वैसे ही राज्य को सरकार को बढ़े हुए दर पर रायल्टी मिलेगी और हमेशा के लिए यह समस्या समाप्त हो जाएगी। तो क्या यह संशोधन लाकर मंत्री जी इस समस्या का स्थाई समाधान करेंगे?

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

महोदय, दूसरे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र से कोयला निकलता है वह कोल बेल्ट बहुत ही अविकसित है। खास तौर से बिहार के बारे में तो आप जानते हैं कि अभी उस दिन राम अवधेश जी के सवाल के जवाब में यह कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो कोयला क्षेत्र हैं वहाँ डेढ़फुट गहरे गड्डे हैं। वहाँ पर सड़कें नहीं हैं और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान आप करेंगे कि आप राज्य सरकार को जो कोयले की रायल्टी देते हैं उसका कुछ प्रतिशत उस क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाए जिस क्षेत्र से वह कोयला निकलता है, ताकि देने वाला कुछ प्राप्त भी कर सके और उस क्षेत्र के लोगों को भी यह आभास हो सके कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो बदले में हमें भी कुछ मिल रहा है और कुछ ऐसा हमारे विकास के काम पर खर्च हो रहा है। तो क्या आप कोई ऐसा प्रबंध करेंगे कि उस रायल्टी का कुछ अंश उल्टर उस क्षेत्र के विकास पर खर्च हो।

(उपसभापति पीठासीन हुईं)

महोदय, तीसरी बात मैं राम अवधेश जी से थोड़ा डरकर कह रही हूँ। राम अवधेश जी ने अभी मंत्री जी को कोल-इंडिया के चेयरमैन की नियुक्ति पर बधाई दी है। लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात को और आकर्षित करना चाहती हूँ कि मुझे यह लगता है कि कोल-इंडिया के कामकाज को देखने के बाद ही किसी ने यह मुहावरा गढ़ा था कि--कोयले की दलाली में मूंह काला।

उपसभापति : मूंह काला नहीं हाथ काले।

श्रीमती सुषमा स्वराज : न मूंह काला, न हाथ काले बल्कि पूरा का पूरा बदन ही काला। यह आज कोल इंडिया की हालत है। मैं आपको माध्यम

से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जिस चेयरमैन की नियुक्ति पर राम अवधेश जी आपको बधाई दे रहे थे, आज से तीन दिन पहले एक समाचारपत्र में कोल-इंडिया के इस चेयरमैन की सुभावित नियुक्ति को देखते हुए खबर छपी थी कि एक बहुत ही खराब रिकार्ड के अफसर को कोल-इंडिया का चेयरमैन बनाया जा रहा है और जिस व्यक्ति का नाम निकला था उसे की नियुक्ति आपने की। उसमें अनियमितताओं का जिक्र तो था ही कि पैनल नहीं बनाया गया, एक ही व्यक्ति का नाम भेजा गया, उसमें यह भी जिक्र था कि उस व्यक्ति पर चिंगनहनन का मामला चल रहा है। किसी खदान में कुछ मजदूर दब गए थे और उनकी जांच में वह अधिकारी दोषी पाया गया था। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि ऐसे खराब रिकार्ड के व्यक्ति को उन्होंने क्यों कोल-इंडिया का चेयरमैन बना दिया है?

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : महोदय, जब तक बच्चा माँ की गोद में नहीं रोता है तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। यह मुहावरा मुझे इसलिए याद आ रहा है कि अगर हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री लाल प्रसाद यादव ने कोयले की रायल्टी का मामला उस ढंग से नहीं उठाया होता तो शायद सरकार भी तुरंत इस पर विचार नहीं करती। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह सदन भी इस बात का गवाह है और दूसरा सदन भी इस बात का गवाह है कि श्री लाल प्रसाद यादव ने यह कहा था कि अगर कोयले की रायल्टी नहीं बढ़ाई गई और बिहार का जो बकाया है कोयले की रायल्टी का, वह उसे नहीं दिया गया तब व आमरण अज्ञान करेंगे। मैं समझता हूँ कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य मंत्री ने इस तरह की अवाज उठ ई थी और उस अवाज का ही यह फल हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने तुरन्त इस हाउस में स्टैटमेंट जारी किया, जिसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता उन बातों को, लेकिन एक दो बातें आपको कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि जिस तरह से आपने कोयले के दाम बराबर बढ़ाये हैं और कोयले के दाम बढ़ कर उपभोक्त्यों पर बहुत बड़ा बोझ डाला है वैसे ही आप रायल्टी की दर को भी बढ़ा रहे हैं और उसका भुगतान भी ठीक समय पर रेंगे? बिहार सरकार का रायल्टी का 700,800 करोड़ रुपया भारत सरकार पर निकलता है, उसका भुगतान शीघ्र करवायेंगे? इसलिए मैं इन बातों को कह रहा हूँ ताकि आप बता सकें कि बिहार को आप कब तक भुगतान करायेंगे?

माननीया सदस्या सृषमा स्वराज जी ने जो कहा उनकी बात को काटना नहीं चाहता लेकिन किसी अधिकारी की बात को इस तरह से इस सदन में बिना जांच पड़ताल के नहीं लाना चाहिये था। व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊँ कि सब में वे बड़े कुशल हैं, इसलिये उनके बारे में एक साजिश चल रही थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि कोयला प्रयाग बिहार से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से निकलता है और आप पूरा चार्ट उठकर देख लीजिये वहाँ का कोई व्यक्ति अधिकार नहीं हो, इसके लिये साजिश चलती रही है। मैं समझता हूँ कि कोयले का उत्पादन भी बढ़ेगा और कार्य भी बढ़ेगा। इसलिये अधिक समय न लेकर मैं केवल तीन बातें पूछना चाहता हूँ।

पहली बात यह है कि जो रायल्टी की दर आपने बढ़ाई है यह कब से बढ़ाई है किस तारीख से बढ़ाई है? क्या 1991 की जनवरी ने या नये वित्तीय वर्ष से रायल्टी दी जायेगी?

दूसरी बात यह है कि जिन राज्यों का रायल्टी का बकाया आपके ऊपर निकलता है उनका भुगतान आप कब तक करेंगे?

तीसरी बात यह कि बिहार के मुख्य मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है कि अगर रायल्टी का भुगतान करने

की घोषणा एक सप्ताह के अन्दर नहीं होती है तो एक सप्ताह के बाद है पुनः अमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। इस लिये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार का जो बकाया है उसका भुगतान आप एक सप्ताह में करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं?

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश): मननीय उपसभापति जी, खान और खानज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 केन्द्र सरकार को रायल्टी की दरें निर्धारित करने तथा दरों में वृद्धि किये जाने की शक्ति प्रदान करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि रायल्टी निश्चित करने और रायल्टी को बढ़ाने के लिये क्या कोई मूल आधार निश्चित किया गया है?

महोदया, एक बात यह कही गई कि 1981 के बाद रायल्टी की दरों में कोई वृद्धि इसलिये नहीं की गई कि कोयला उत्पादन करने वाले अधिकतर राज्य कोयले पर बहुत ऊँची दरों से उपकर लगा रहे थे। उसको लेकर इंडिया सीमेंट बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार के मामले में दिनांक 26-10-89 को दिये गये एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार खनिजों अथवा खनिजों के प्राधिकार पर उपकर लगाये जाने के लिये सक्षम नहीं है। इस निर्णय के अनुसरण में अन्य न्यायालय दूसरे राज्यों द्वारा लगाये गये उपकरों को अमान्य घोषित करती रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकारों पर आरोप है कि क्योंकि केन्द्र सरकार ने रायल्टी की दर नहीं बढ़ाई इसलिये राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा उपकर लगा रही थीं? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकारों ने उपकर लगाने से पहले केन्द्र सरकार के पास रायल्टी बढ़ाये जाने के संबंध में कोई आवेदन किया था?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जब उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को उपकर लगाये जाने के लिये सक्षम नहीं माना यानि यह उनकी अनधिकार चेष्टा

[श्री अनन्द प्रकाश गौतम]

थी तो उपकर की अनुमति क्या भारत सरकार ने उनको दी थी? उनकी जानकारी में वह उपकर बढ़ा रहे थे? क्या रायल्टी बढ़ाये जाने के विरोध में राज्य सरकारों ने उपकर लगया या यह केवल एक दूसरे पर दोषारोपण माना जा रहा है तो इसका मूल कारण क्या है? राज्य सरकारों ने गलती की या केन्द्र सरकार ने गलती की?

श्री कामेश्वर वानपास (बिहार) : उपसभापति महोदया, कोयला रायल्टी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोयला जितना काला होता है उसमें पलने वाला भ्रष्टाचार उससे ज्यादा काला हो गया है। पहले हम कोयले में पत्थर खोजते थे और आज हमने पत्थर में कौयला खोजना शुरू कर दिया है। इसके पीछे भी भ्रष्टाचार का माफ़ता है। मैं जहां से आत हूं बिहार से, और बिहार में भी छोटा नागपुर एरिया, वहां कोयला पैदा होता है लेकिन वहां के रहने वालों की स्थिति उतनी बदतर है कि उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता, भूखे मरते हैं। बेरोजगारी से परेशान हैं। मैं मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है उसके मुतल्लिक कुछ बातें जानना चाहता हूं। पहला यह कि कोयले की रायल्टी से संबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों की अनुशंसायें क्या हैं? दूसरे यह है कि सरकार ने किन किन अनुशंसाओं का वास्तविक रूप से कार्यान्वयन किया है? तीसरा यह कि किन किन अनुशंसाओं पर अब तक विचार नहीं किया गया है और नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है? एक दूसरा सवाल यह है कि क्या कोयला उद्योग के सैपरेट अफेक्ट तथा लिंज अफेक्ट का अध्ययन किया गया है? इसका फलस्वरूप सहायक उद्योगों का विकास संभव है और उत्पादन, आमदनी तथा रोजगार में वृद्धि की संभावना है। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं।

डा० रत्नाकर पांडेय : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, माननीय श्री जी ने कोयले की रायल्टी की दरों में वृद्धि के संबंध में जो स्टेटमेंट दिया है उसके संदर्भ में वाइटेड जिज्ञासयें भेरी हैं। सबसे पहले तो इस सदन के माननीय सदस्य शंकर दयाल सिंह ने बिहार के मुख्य मंत्री लाल प्रसाद यादव की बड़ी तारीफ की। उस संदर्भ में मैं बतना चाहता हूं कि दो दिन पहले वहां के अपोजिशन के लीडर श्री जगन्नाथ मिश्र सारे कांग्रेस के विधायकों और एम० एल० सी० को लेकर आये थे। वह सोनिया गांधी से मिले थे, प्रधान मंत्री से मिले थे और वह राष्ट्रपति जी से भी मिले थे। सोनिया गांधी के आग्रह पर उन्होंने ...

श्री राम अवधेश सिंह : और उन्होंने रायल्टी बढ़ा दी?

डा० रत्नाकर पांडेय : जगन्नाथ मिश्र ने प्रयत्न किया और सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका सारा सदन एक स्वर से तारीफ कर रहा है और स्वागत कर रहा है।

श्री राम अवधेश सिंह : सारा सदन नहीं डा० रत्नाकर पांडेय।

डा० रत्नाकर पांडेय : जो आज यह बोल रहे हैं इनकी सरकार कोई 15-16 महीने रही है। अगर इन्होंने रायल्टी की दर में वृद्धि करनी होती तो उस समय कर सकते थे और आज आलोचना न करते हमारी। व्यवधान

उपसभापति : राम अवधेश जी जो यह बोलना चाहते हैं इनको बोलने दीजिये। पया आप अपनी जगह पर जाइये। किसी और की सीट पर आकर आप नहीं बोल सकते।

श्रीमती सया हिन (उत्तर प्रदेश) : इनको सदन से बाहर निकाल दीजिये।

उपसभापति : कोई भी सदन में बदतमीजी करेगा वह बाहर ही निकाला जायेगा।

डा० र नाकर पांडेय मैं यह कहना : चाहता हूं कि उत्तर भारत क सबसे बड़ा कोयले का फूटकर बजार मेरे बनारस में चंडसी मंदिर में लगा है। रायल्टी आप दे रहे हैं। बहुत दिनों से रुकी हुई जो चीजें हैं उनको आपने कार्यान्वित किया है। मैं जना चाहता हूं कि जिन जिन राज्यों ने रायल्टी की मांग की है उन राज्यों की मांग का है और आपकी सरकार किस रूप में उन्हें देना चाहती है? क्या रायल्टी देने में एकलपता अख्तियार करना चाहते हैं या अलग अलग राज्यों के लिये अलग अलग रायल्टी देना चाहते हैं। एक तो मैं यह जना चाहता हूं और दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि कोल माफिया इस देश में व्याप्त है। उसमें पोलिटिकल लोगों का इन्वोल्वमेंट रहता है। सदन में एक बार कोई बात कही जाय तो मैं उसको दाहराना नहीं चाहता हूं। पिछले प्रधान मंत्री कोल माफिया से पूरी तरह संलग्न थे। इसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था कि कोयले का ठेका किसको दिया जाय। इसको जब इस देश का प्रधान मंत्री करेगा तो क्या स्थिति होगी?

“काजर की कोठरी में कितनी ही सयानो जाय, एक लीक काजर की लागि है पै लागि है।”

कितना भी चतुर आदमी कोयले की खान में जायेगा तो उस पर दाग लगेगा और उस दाग को धोने के लिये जो जायेगा वह भी दाग से बच नहीं सकता है। इसलिये मंत्री महोदय से दो चीजें स्पष्ट होना चाहता हूं। एक तो डिलेवरी आर्डर मंत्र या उच्च-धिकारी जो देते हैं जिसको डी०ओ० कहते हैं, इस डी०ओ० को लेकर बहुत से सफेदपोश लोग डी०ओ० को ब्लैक में बेच देते हैं? इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस डी०ओ० को इस करने के लिये क्या आपकी सरकार कोई एकलपता ला रही है या जिसपर आपकी पारदर्शिता हो जाय जिसको आप चाहें, डी०ओ० इस कर देंगे और कोयला सरकारी उद्योगों में खर्च करने के नाम

पर मिलेगा, लेकिन वह ब्लैक में बेच दिया जायेगा? इसको रोकने के लिये आप क्या करना चाहते हैं? बहुत से लोग कंडक्टर से करोड़पति हो गये। डी०ओ० का काम करते हुये आज वे लोग करोड़पति बन कर घूमते हैं। वे मोन लोग हैं और कहाँ हैं, यह सबको मालूम है। उनको सजा देने के लिये आप क्या कर रहे हैं? कोल माफिया के ये चन्द लोग हैं, उनको सजा देने के लिये, उनकी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये आप क्या कर रहे हैं? आप कोयले की रायल्टी तो दे रहे हैं, लेकिन कोयले का कितना उत्पादन है, उसका सही स्टाक क्या है, इसका आपके पास हिसाब नहीं है। बहुत सा कोयला ब्लैक में बिक जाता है और जो डंडे वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, बाहुबल वाले हैं, जिनका विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध है और जो उनकी छत्रछाया में चलते हैं उनका बिहार में, आपके महाराष्ट्र में, आसाम में और बंगल में, कब्जा किया हुआ है। वे एक प्रकार से ब्लैकमनी चला रहे हैं, उसको रोकने के लिये मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में राजीव गांधी जी के प्रति जो निष्ठा व्यक्त की है उसको हमारी सरकार करती रहेगी और इस दिशा में आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कोल इंडिया के चेयरमैन को बदला है। सरकारी नौकर चहे चपरासी हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चेयरमैन हो या डायरेक्टर हो, सब हमारी नजर में एक होने चाहिये। किसी की प्रेज या निन्दा हमें नहीं करनी चाहिये। अब नया चेयरमैन आया है। इस देश का उपभोक्ता जो कोयले के बिना जिन्दा नहीं रह सकता है और अपनी रोटी नहीं पका सकता है और जो छोटे छोटे उद्योग हैं वे कोयले से ही अपना उत्पादन करते हैं, उनको मंहलियत देने के लिये, ब्लैकमार्किटिंग रोकने के लिये, डिलीवरी आर्डर में एकलपता लाने के लिये, कोयले की रायल्टी सब को मिले, इसके लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं? कोर्ट में जो मामले पेंडिंग हैं, क्या कोई ट्राइब्यूनल बना कर, या मिनिस्ट्री से एडवाइज लेकर या सुप्रीम कोर्ट से एडवाइज लेकर इनको आप

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

एक साथ निपटाने के लिये कोई संकल्प ले रहे हैं और अगर ले रहे हैं तो वह म जानना चाहता हूँ।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Madam Deputy Chairman, Ahluwaliaji said that he comes from a coal-producing State. Unfortunately, I come from a State where there is no coal available.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): You come from a coal-consuming State.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Therefore, I would like to know from the hon. Minister, can we, consumers, expect some relief in supplies, or, the shortages will continue? How will it affect the final price to the consumer? Only this afternoon, we were discussing the Consumer Protection (Amendment) Bill. Therefore, the question arises as to how the interests of the consumers can be protected from the increase in administered prices of public sector undertakings; in this case, coal. We were also talking about the effect of rise in administered prices on the profitability of public sector undertakings. In this case, how does it affect the profitability of Coal India? Madam,

I would like to know whether 7.00 P.M. the State Governments are putting ceiling on production of coal. If not, what is the constraint in increasing the production to a level when consumer can get enough coal for his requirement? If Government has any such plan for increasing the production, by when will this be implemented?

I would also like to know, what is the cess in each State so far?

Madam, the hon. Minister just two days back mentioned that requirements of the core sector will be met to the maximum extent on priority. I would like to know specifically whether he will try to meet hundred per cent requirement of the mini steel plants which come in the core sector and where even wagons are not required.

My last point is, as Pandeji has said, we should not mention about good or bad of the Chairman appointed or to be appointed or the past Chairman. But since Sushmaji has mentioned about this, I would like to mention that according to my information he is working in Coal India or in coal areas for more than three to four decades. He is expected to be very efficient. I do not think we should politicise such a kind of appointment. We should leave it to the Minister's judgement and then only we can expect results from the Ministry.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, मझे एक मिनट का समय आप देगी। मैंने जो बात कही उसके ऊपर तीन माननीय सदस्य बोल चुके हैं। पोलिटिसाइज करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने तो यह पूछा था कि जो समाचार निकला है, क्या यह सच है। इसमें कहीं कोई पोलिटिसाइज करने का प्रश्न नहीं है। बजाय इसके कि माननीय सदस्यों के द्वारा बताया जाए अगर मंत्री जी सही बता देंगे तो पूरे देश और सदन को पता चल जाएगा। मैं तो उनको जानती तक नहीं इसलिए पोलिटिसाइज करने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरा बड़ा सीधा सवाल था कि परतों उनकी नियुक्ति के पहले जनसत्ता में एक समाचार डिस्प्ले कर के निकला। मैंने तो सिर्फ यह पूछा था कि क्या यह सच है। अगर सच नहीं है तो मंत्री जी बता दें तो मामला समाप्त हो जाएगा।

श्रीमती कमला सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, मंत्री जी का जो यह बयान आया है, यह संतोषजनक नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि कोयले की रायल्टी बढ़ाने की बात इन्होंने कही और यह भी कहा कि इण्डियन सेंस एक्ट और मिनरल ख्वलपमेंट एक्ट के तहत प्रांतीय सरकारों को सेस लगाने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद आसाम और बंगाल की सरकारें सेस लगा रही हैं। आपने यह कहा कि रायल्टी तय कर के प्रांतीय सरकारों को देगे। आपने यह

कहा कि 70 रुपये प्रति टन के लगभग रिवाइज्ड रायल्टी की दर तय होगी। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि कोयले का अलग अलग प्रेडेशन होता है। आप जानते हैं हिन्दुस्तान में कोयले का 45 प्रतिशत बिहार में पैदा होता है। बिहार में जो कोयला पैदा होता है उस में कोकिंग कोल वी सी सी एल० के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वी सी सी एल० जो कोयला पैदा करता है विभिन्न श्रेणियों का है बाशरीज से उसको मेटलर्जिकल कोल बनाया जाता है जो कि लोहे के कारखानों और थर्मल पावर स्टेशनों में इस्तेमाल होता है। यह बेटर क्वालिटी आफ कोल कहलाता है। इसलिए मैं यह जानना चाहती हूँ कि इसकी रायल्टी क्या होगी? अब कोयला जो पोखरिया खदान से निकला जाता है जिसमें पठरा भी मिला होता है वह सब स्टैंडर्ड कोयला होता है क्या उसकी रायल्टी भी वही होगी जैसे मैंने कह कि मेटलर्जिकल कोल जो होता है उसकी भी रायल्टी वही होगी क्योंकि बिहार में दो तरह की कोयला बेटर क्वालिटी का कोयला पैदा होता है। मैं यह जानना चाहती हूँ क्या दोनों की रायल्टी दर वही तय करेंगे? दोनों में अंतर होना चाहिए। क्वालिटी आफ कोल की रायल्टी में फर्क होना चाहिए, प्रेडेशन के हिसाब से और कटेगरी के हिसाब से रायल्टी होनी चाहिए। नम्बर दो कोल की रायल्टी में वृद्धि होनी चाहिए, उसके दाम बढ़ाने चाहिए।

(व्यवधान)

आप एंड वेलोरम करेंगे तो उसके दाम बढ़ेंगे। उसका रेशियो क्या होगा यह भी सरकार को बताना चाहिए। दूसरा, बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कुछ सुझाव दिये थे। आपने यह बताया कि कुछ कम्पनियों ने कुछ उपभोक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कैसे ज क्रिये। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सेस जनवरी से बढ़ हो गया। मैं कहना चाहती हूँ कि मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने, बिहार सरकार ने कुछ सुझाव दिये थे। एक तो उन्होंने कहा था कि इंडियन सेस एक्ट

और मिनरल डेवलपमेंट एक्ट में आप संशोधन करें ताकि प्रांतीय सरकार जो कोयला उत्पादित करती हैं—आखिरकार वह बिहार, बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश की सम्पत्ति है, जमीन के नीचे कोयला नहीं होता तो वहाँ फसल उपजती, दूसरे कारोबार होते, जमीन के नीचे कोयला होने से वह जमीन उपजाऊ नहीं हो सकती है, जमीन नीचे चली जाती है गड्ढे हो जाते हैं, वह बरबाद हो जाती है, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होता है। अतः जो कोयला उत्पादन करने वाले प्रांत हैं उनको आप दोहरा नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप इन कानूनों में संशोधन कीजिए। जैसे बिहार सरकार ने कहा है कि उस प्राविजो को हटाइये और प्रांतीय सरकारों को रायल्टी उगहने का अधिकार दीजिए। क्या आप यह करेंगे? 1... (समय की घंटी) इतनी जोर से घंटी न बजाइये। मैं तुरन्त खत्म करने वाली हूँ। मैं तो आपको घंटी सुनकर डर जाती हूँ।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से सरकार से इतना पूछना चाहती हूँ कि एक तो कोकिंग कोल की रायल्टी का रेट क्या होगा। 70 रुपये-फ्लैट रेट में धान, गेहूँ और कंकड़ को एक साथ शाब्द से मत बहारिये, ग्रेड से रायल्टी तय करिये। इसको बढ़ाना होगा। प्रत्येक दिन बिहार सरकार को दो करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। यह जो घाटा है और पिछले साल से हमारा जो बकाया है इसके कारण साढ़े चार सौ करोड़ रुपये बिहार का केन्द्र सरकार के पास बाकी है। यह केन्द्र सरकार के पास जो बकाया है इसका आप कब तक भुगतान करेंगे? मैं आपको फिर से चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर आपने एक सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं किया तो बिहार के मुख्य मंत्री और बिहार के विधायकगण दिल्ली में आकर अनशन करने वाले हैं, धरना देने वाले हैं। इसमें बिहार के सभी सांसद भी शरीक होंगे, चाहे किसी भी दल के हों। मैं तो उम्मीद करूँगी कि अहलूवालिया साहब भी उसमें आयेंगे। तो यह कब तक भुगतान आवा करने वाले यह बात बता दीजिए।

[श्रीमती कमला सिन्हा]

बिहार सरकार का 1989-90 का करीब साढ़े सात सौ करोड़ रुपया बकाया आपके पास पड़ा हुआ है। उसका भी आप सूद के साथ कब तक भगतान करेंगे। मेरे ये इतने ही प्रश्न थे मैं इनका सरकार से जवाब चाहती हूँ।

SHRI JAGESH DESAI: (Maharashtra): Madam Deputy Chairperson, I heard the praises of Shri Laloo Prasad Yadav, the Chief Minister of Bihar. The judgment was given on 29-10-1989. One month after that they came to power in Bihar, and here the V. P. Singh Government came to power. They did not do anything for 18 months and now they talk about a *dharna*. When there was pressure from the members of our party, the Government has done something and now they want to take the credit for that.

श्रीमती कमला सिन्हा : यह बात सही नहीं है। पिछले 6 महीने से केन्द्रीय सरकार को दिया हुआ है... (व्यवधान) गलत बयानी मत कीजिए।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Why did you not do it for 18 months when you were in power?

SHRI V. NARAYANASAMY: When Mr. V. P. Singh was the Prime Minister, what did Mr. Laloo Prasad Yadav do? What did the Bihar Chief Minister do when Mr. V. P. Singh was the Prime Minister at that time... (Interruptions)... Had he forgotten it at that time?

SHRI JAGESH DESAI: Now when we are going to do it, they want to take political advantage of it, whether it is in Bihar or in Madhya Pradesh, regarding the royalty. Please don't do like this. You were in power for 18 months. When Mr. V. P. Singh was the Prime Minister of this country, you did not do it. Now when we have done it, you want to take the credit for it. Please don't do it.

We are all one in respect of Maharashtra, Bihar, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. I would like to ask some pointed questions:

The judgement was given on 26-10-1989. After that date some of the States stopped taking the cess. Are you going to give this benefit of Rs. 70 from that day when they stopped taking the cess and not from July, 1991? I would like to know this because they should not get this kind of loss for not having collected the cess. For two years if you are not giving the enhanced royalty and you are giving it at the old rates, please see that those States who have stopped taking the cess must be given the benefit of Rs. 70 from the date they have stopped this cess.

Secondly, Sushmaji said correctly that this royalty should be linked with the price of coal. You can take the average of the previous year, the selling rate of coal. If the coal prices have gone up by 10 per cent over the previous year, you must in the next year increase the royalty by ten per cent so that the States would get the benefit of the rise in the prices. This formula should be adopted. You cannot do it on a day-to-day basis. I am sure the Minister will look into this.

I would also like to know on what basis you have arrived at the figure of Rs. 70. You must have some formula. Let us know on what basis you have done this. I am very happy that while in 1981, as Mr. Ahluwalia said, it was Rs. 5, you have increased it to Rs. 70 now. I am satisfied that you have done the best that you could do. But for future also please see, as the coal prices are going up, that they should get the royalty accordingly.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Madam, Deputy Chairman, one aspect that I should bring to the notice of the Minister at the very outset is the point referred to by him regarding the levy of the cess because the Government of India has decided to exclude West Bengal and Assam from the purview of the proposed enhancement

because the cess is continued to be levied there. Would he kindly clarify, because it is not clear to my mind from the statement, whether at any point of time the Government of India advised the States against the levying of the cess. He says that the Supreme Court in 1989 in case of a cement company versus the Tamil Nadu Government handed out a judgement which says that on minerals and such other things cess cannot be levied by the State Government. This would be contraction of the States' right to levy cess in particular cases.

A point has been made that mines are all situated within the territorial jurisdiction of the States. The Union of India has a overweening authority over all these mines and minerals, no doubt. But that does not take away the right of the States in respect of the riches within their territory. The question of royalty, whatever is paid, clearly establishes that royalty is given to one who owns something but does not administer that. Royalty is given because of the ownership. I cannot say what it is, how it is described in law. But from a common man's point of view and from my personal experience I would say this. In respect of a book written by me, how is royalty given? Though I possess the book, the publisher took the responsibility of getting it printed and published. So, from that point of view, our request to the Minister is kindly to State whether he took it up at all at any point of time with the State Government, that it should not be done and that this might hinder the receipt of the royalty.

What would be the explanation for not enhancing the royalty before 1987 up to four years and after 1987 for three years? If it was not done up to 1981, then what was the use of those amendments? Was it not just to dupe somebody?

Secondly, I would like to know whether the cess was taken into account in fixing the price of coal or the cess was borne by Coal India and other Coal authorities by themselves giving away this money just as a gesture of generosity.

Lastly, I think, to make it effective prospectively i.e. from the date when the Notification would be effected the Government of India will be depriving all the States and an accusation will have to be levelled from time to time against the Central Government for adopting a step-motherly attitude against certain States and the question of development at the cost of the States will arise. Regarding West Bengal and Assam I may tell the hon. Minister, if this decision is implemented—I am not giving any threat or anything of that sort—definitely we will have to launch a protest movement against this invidious decision made by the Government of India.

श्री नरेश सी० पण्डित (महाराष्ट्र) :
उपमहानि मन्त्रोदय, मैं आपके माध्यम से और हमारे इस सदन में उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से कांग्रेस सरकार का और खाय करके जो कोल डिपार्टमेंट के हमारे जो मिनिस्टर संगमा जी हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आने से उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर जो-जो राज्य कोल का उत्पादन कर रहे हैं, उन राज्यों को एक बड़े राहत दे रहे हैं और पाँच रुपये एवरेज रायल्टी से बढ़कर वह 70 रुपये एवरेज रायल्टी की है, इस लिए मैं उनका तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि रायल्टी फिक्सेशन जो आपने किया है क्योंकि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले से, हमारे जिले में कोल का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और कोल कंप्लेंटिव कम्पेटी में होने की वजह से मुझे इसकी काफी जायकारी भी है कि आप जो रायल्टी फिक्सेशन कर रहे हो यह रायल्टी आपकी जो डिमैण्ड की फिगर है उस फिगर से होती या आपके प्रोडक्शन की जो फिगर आपके जो कम्पनीज कोल इंडिया को देती है, कोल इंडिया सरकार को देती है, जो बोगस फिगर देती है, जिसमें प्रोडक्शन फिगर का ओवर रिपोर्टिंग किया जाता है और दो-तीन साल के बाद में या हर साल आपको फिर वह बाइंड अप कर देते हैं? इस प्रकार मैं मंत्री महोदय से स्पेसिफिक क्वेश्चन

[श्री नरेश सी० पुगलिया]

प्रश्न कि जो राज्य सरकारों को आप रायल्टी की पैमेंट करेंगे वह आपके डिस्पेंच की फिंगर से करेंगे या कोल प्रोडक्शन से करके करेंगे ? साथ में मैं यह प्रश्न चाहूंगा कि यह बोगस रिपोर्टिंग के कारण अगर हम 70 रुपये रायल्टी देते हैं और अगर ऐसे ही आपका बोगस प्रोडक्शन बताया गया तो उसका 70 रुपये प्रति दिन के हिसाब से कोल डिपार्टमेंट के ऊपर एक भारी बोझ पड़ेगा क्योंकि पहले ही 2250 करोड़ रुपये के घाटे में यह कोल इंडिया हुआ हुआ है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कोल डिपार्टमेंट की जो कोल इन्वेन्टरी कमेटी है उसका मैं भी एक सदस्य था, हमने पिछले साल चन्द्रपुर का एक टूर किया दो एरिया में 6 लाख टन आर्टेज मिला। उसकी हमने रिपोर्ट की और 4 आफिसर्स को सस्पेंड किया गया, लेकिन 15 दिन के बाद फिर री-इस्टेट कर लिया और उन पर अब लीपापोती चल रही है। उनकी कंस्ट्रक्टिव कमेटी में तय हुआ था कि उसकी सी०बी०आई० से हम जांच कराएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि यह 70 रुपये रायल्टी का अनुमाने से बर्तन कोल टंडिंग पर नहीं पड़े इसलिए कोल इन्वेन्टरी कमेटी ने इस पर जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके पास दी है, जिन आफिसर्स को सस्पेंड किया था 15 दिन में सस्पेंशन कैसे रिवोक किया है ? इसकी आप सी०बी०आई० से जांच कराकर शेवर रिपोर्टिंग की प्रथा हमेशा के लिए समाप्त करेंगे ? दूसरे, उपसभापति महोदय, कोल नेशनलाइजेशन के बाद आंध्र में जो कुछ कोल माइंस हैं, उन्हें वहां की राज्य सरकार चलाती है। तो उन पर भी यह रायल्टी का नियम लागू होगा या नहीं क्योंकि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी रायल्टी देती है वैसे ही राज्य सरकार को भी देनी चाहिए। तीसरे, मेरा सवाल है कि यह जो आपने रायल्टी का रिवीजन किया है और जो रायल्टी आज आपने मकरंर की है, इसका नोटिफिकेशन किस डेट को निकल रहा है वह एक्जैक्ट डेट बता दें और किस दिन से लागू होगा क्योंकि रायल्टी का रिवीजन तो दो साल में, तीन साल में या जब-जब भी कोल का रेट

बढ़ाओगे, तब-तब आप रिवीजन करोगे। इसी प्रकार उपसभापति महोदय, आपकी प्रजेंट में पिछले दिनों यहां एक विषय चर्चा में आया था कि कोल की स्मगलिंग हमारे देश और खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट और बिहार से बड़ी मात्रा में होती है। चन्द्रपुर और नागपुर का कोल गुजरात बार्डर से पाकिस्तान जाता है और बिहार का कोल नेपाल जाता है। तो कोयले की थैपट और कोयले की स्मगलिंग जो होती है, वह कोयलों प्रोडक्शन के रिकार्ड पर नहीं आता। जब तक आप कोयले की थैपट और कोयले की स्मगलिंग बंद नहीं करेंगे तब तक राज्य सरकार को 70 रुपये प्रति टन रायल्टी का नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कोल की स्मगलिंग और थैपट बंद करने के लिए कोल इंडिया और आपकी कोल मिनिस्ट्री वॉन से काम उठाने जा रही है ?

मान्यवर, अभी रत्नाकर पाण्डेय जी ने बोगस परमिट का सवाल किया था। इस तरह के हजारों-लाखों बोगस परमिट इश्यु किए जाते हैं और फिर कोल की आर्टिफिशियल आर्टेज बताकर उनमें ब्लैक की कमाई होती है। महोदय, कोल कंट्रोल आर्डर के तहत यह प्रावधान है कि सिर्फ इस प्रकार के जो कोल यूजर्स हैं, उसी को कोल का यूज करना चाहिए अर्थात् जिस इंडस्ट्री को कोल लगता है उसी को कोल लेना चाहिए। महोदय कोल कंट्रोल आर्डर में आज यह कॉन्डिशनल आफेंस नहीं है कि अगर कोई बोगस परमिट लेकर उसे दूसरे को बेच देता है या स्मगल करता है तो उसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसे व्यक्ति पर केस चलाकर उस सजा दी जाय। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे स्मगलिंग और थैपट को रोकने के लिए कोल कंट्रोल आर्डर को एमेंड करके उसे कॉन्डिशनल आफेंस बनाएंगे ताकि जो कोल परमिट होल्डर हैं, वहीं कोल का यूज करें और बोगस परमिट होल्डर उस कोल को हाथ न लगाएं। इसके लिए मंत्रीजी क्या करते जा रहे हैं ?

उपसभापति महोदय, मेरे दो आखिरी सवाल हैं कि जिन किसानों की हम जमीन लेते हैं और उस पर कोल माईंस बनाते हैं। वह किसान जो सौ-सौ पचास-पचास साल जमीन रखता है, लेकिन उसको पेंशन के रूप में कोई हिस्सा नहीं जाता महोदय, कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो वर्ष 1986-87 में, जिनकी हम जमीन लेते हैं, उनको 30 साल तक पेंशन देने का प्रोजेक्शन कोल इंडिया ने किया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आप राज्य सरकार पर यह बंधन लगाएंगे कि आपने जिनकी जमीन ली है उनकी रायल्टी में से पेंशन के रूप में कुछ हिस्सा जाना चाहिए या अलग से पेंशन देंगे? इस बारे में मैं मंत्री महोदय से क्लैरिफिकेशन चाहूंगा।

उपसभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि नया नोटिफिकेशन निकालने के पहले तक जिन जिन राज्यों का सेस या रायल्टी के रूप में कोल डिपार्टमेंट की तरफ जिन-जिन राज्यों का पैसा बकाया है, वह पैसा किस-किस राज्य का कितना-कितना है और खासकर महाराष्ट्र का कोल इंडिया की तरफ कितना पैमेंट बैलेंस है और यह रकम आप कितने दिनों में अदा करेंगे साथ ही पिछले तीन सालों में महाराष्ट्र ने कोल का कितना उत्पादन किया है और सेस के रूप में और टैक्स के रूप में आपने उसे कितनी रायल्टी दी है और कितनी देना बाकी है?

इन्हीं मुद्दों पर मैं जानकारी चाहूंगा। धन्यवाद।

उपसभापति : श्री शम्बीर अहमद सलारिया, श्री मेन्त पद्मनाभम्, श्री अनन्तराय देवशंकर दवे—अनुपस्थित।

श्रीमती सया रहिन : उपसभापति महोदय, आपने मुझे स्पष्टीकरण पूछने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

महोदय, कोयला हमारे देश की ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। मंत्रीजी ने जो

वक्तव्य दिया है और मतभेदों को सुधारने की जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यहाँ माननीय सदस्यों ने बहुत से प्रश्न उठाए हैं जोकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनमें से बहुतों का उत्तर मंत्रीजी देंगे। और उनको न दोहराने हुए मैं पूछना चाहती हूँ कि उपकर की उंची दरे और प्राप्त होने वाली रायल्टी के मतभेदों के कारण कोयला उत्पादन की क्षमता पर क्या कोई प्रभाव पड़ा है यानी जबसे यह मतभेद हुए हैं कोयले के उत्पादन में काम हुआ है, कमी आई है या नहीं?

दूसरा, महोदय, कोयला उत्पादन के लिए कितने उत्पादक राज्य ऐसे हैं, जो नई अधुनिकतम टेक्नोलोजी इस्तेमाल करते हैं? और, जो नहीं करते हैं या करते हैं, उनके लिए कोई सुविधा या सहायता या रायल्टी के रूप में सहायता या सहयोग देने का सरकार विचार रखती है?

तीसरा, इसमें दिया गया है कि इंडिया सीमेंट और तमिलनाडु सरकार के मामले में 26-10-1989 को एक उच्चतम न्यायालय में निर्णय हुआ था। उसके आधार पर बाद में दूसरे न्यायालयों में भी केस अमान्य होते रहे हैं, जैसा बताया है यानी उसके अनुसरण में अन्य न्यायालय दूसरे राज्यों द्वारा लगाए गए उपकरणों को अमान्य घोषित करती रही हैं। क्या इन मामलों पर कम्प्रोमाइज कराने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कोशिश की है क्योंकि इसमें एक वर्ष नौ महीने हो गए हैं उच्चतम न्यायालय के फैसले को हुए। चूंकि इस दौरान पिछली सरकार रही है और अब यह आई है, अब तो कोई कदम उठाए भी जा रहे हैं लेकिन पिछली सरकार ने क्या कोई कम्प्रोमाइज के लिए शुरुआत की थी अथवा नहीं की थी?

चौथा, महोदय जो उपकर की विभिन्न दरें हैं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग। अगर कोयला उत्पादक राज्यों में अलग दरें हैं तो क्या रायल्टी की भी अलग दरें हैं या नहीं? इसके अलावा गुणवत्ता के आधार पर उच्चतम रायल्टी दरें पहले क्या थीं और अब क्या हैं?... (समय की बंदी)...

[श्रीमती सत्य बहिन]

महोदय, मैं यह सवाल भी पूछना चाहती हूँ बड़े संक्षेप में कि क्या कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं, जिनके लिए घोषणा तो हुई, लेकिन उनको बकाया रायल्टी नहीं दी गई है और उपहार जो लगाया है उससे कोयला उत्पादन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा है ? यह मेरे मुख्य सवाल हैं। हमारा प्रदेश वैसे तो कोयला उत्पादक प्रदेश नहीं है, लेकिन कोयला उपभोक्ताओं में मुख्य उपभोक्ता प्रदेश अवश्य है। मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी मेरे इन सवालों का जवाब दें। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Anant Ram Jaiswal. I have seven more names. So please be precise.

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपने हमको सुनने के पहले ही एलान कर दिया।

उपसभापति : हाँ, एलान तो करना ही था।

श्री अनन्त राम जायसवाल : माननीय उपसभापति जी, माननीय कोयला मंत्री का आज का वक्तव्य पिछड़े राज्यों के प्रति केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति का ही एक नमूना है। इसमें पहले तो आप देखें कि रायल्टी रेट का रिवीजन हो जाना चाहिए था हर तीन साल के बाद, लेकिन पिछले दस साल के बीच एक दफा भी उसका एलान नहीं किया गया और जो इसकी वजह बाई गई है वह किसी की समझ में नहीं आती है, मंत्री जी की भले ही समझ में आती हो कि चूँकि सेस लगा दिया, उसका रेट बहुत ज्यादा था इसलिए रायल्टी बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं समझी गई उसके रेट के लिए। एक यह नमूना और दूसरा नमूना यह है कि यह बड़े हुए रेट, रायल्टी रेट भी पिछड़े राज्य के खजाने में कोई इलाफा नहीं करेंगे बल्कि उसको घटाएंगे ही। मिसाल के लिए

बिहार का मामला ले लीजिए। वहाँ रायल्टी और सेस से तारीब सवा आठ सौ करोड़ रुपए की आमदनी होती थी और अब आप जो देंगे उससे अनुमान मोटा यह है कि उससे खाली छह सौ करोड़ रुपए उनको मिलेगा तो शुद्ध रूप से सवा दो सौ करोड़ का नुकसान अकेले बिहार को होने जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी प्रश्न डालेंगे कि इस नुकसान को वह कैसे पूरा करेंगे ? या इस नुकसान को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई कार्यवाही की है ?

दूसरी चीज, महोदय, यह है कि यह जो नए रेट हैं, बड़े हुए रेट रायल्टी के यह लगू होंगे जब, अब आफिशियल गेट में इसका पब्लिकेशन हो जाए। अभी तक इमं हुआ नहीं है। फिर, जिस तारीख से सेस की वसूली बं हुई है उस तारीख से, उस पब्लिकेशन को डेट या जब वसूली शुरू होगी, इस बीच में जो राज्य का नुकसान होगा, इसको कैसे पूरा करेंगे ? इस पर भी प्रश्न आपने डाल नहीं। कहां राज्य मांग रहा था कि एडवेलोरम रेट तय किया जाए और भारत सरकार ने स्पेसिफिक रेट पर ही सेस तय कर लिया भी तीन चीजों की तरफ ध्यान नहीं गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूँ कि इसकी तरफ आप ध्यान दें। इसी मिसाल में बिहार सरकार ने जो सेस के रूप में रुपया वसूल कर लिया है, अब उनको कहा जा रहा है कि यह काय वपिस कर दो। इस लॉस को वे कैसे पूरा करेंगे, इसकी तरफ आपका ध्यान गया है या नहीं ?

मैं माननीय मंत्री जी से आखिरी बात यह हूँगा कि आप बिहार या दूसरे जो कोयला उत्पादक पिछड़े हुए राज्य हैं उनको हिस्सामंदरी न कीजिए, उनके नुकसान की आप भरपूर ई कीजिए, चाहे रेट्स को फिर से रिविज करना पड़े और अगर आपको कुछ करना ही है तो कोल

इंडिया की जो चार कंपनियां हैं, उनकी चारों को रोकिए, उनकी ब्लैक मॉर्गेंट को रोकिए। आपका ध्यान मैं खींचना चाहता हूँ कि अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है कि 900 मीलियन टन कोयला राइट ऑफ कर दिया गया इसके जरिए। उनका मामला शायद आपके पास हो। लेकिन उन अधिनियमों या कर्मचारियों के, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कर्बवाई करने की तरफ शायद आपका ध्यान नहीं गया। राज्यों की हिस्सामारी की तरफ आपका ध्यान गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिस्सामारी आप छोड़िए। आज भी बिहार पिछड़ा है और उनसे ज्यादा पिछड़े हैं आसाम वगैरह, तो उनकी हिस्सेदारी न कीजिए, उनको पूरा कीजिए और बेइसानी रोकिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri R. R. Sahu. Be precise because question is being repeated.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU (Bihar): Madam, I will only ask very specific questions. I welcome the decision of the Government and I would like to congratulate the hon. Minister for taking the decision of enhancing the royalty. The Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 was amended and according to the amended Act, the royalty is to be given after every three years, but it has not been revised for the last ten years. In 1990-91 it is being enhanced by Rs. 70 per tonne. This enhancement, to my mind, is very low. I would like to know from the hon. Minister what the rationale is behind this enhancement is and why it is Rs. 70, why not Rs. 60 or Rs. 80.

Secondly. I would like to know whether the enhancement is going to cover the losses which the States have suffered during the last ten years. My third question

is whether the Government is going to consider a demand for fixing the royalty on price rates and not on tonnage basis. The hon. Minister must have heard and must be knowing about the illegal mining. How he is going to stop this illegal mining, I would like to know.

Lastly, since the collection of cess has been struck down and to compensate the losses the Government has enhanced the rate, I would like to know from the hon. Minister what is the amount of cess and royalty together which was being collected by the States and what is the total amount of royalty minus cess i.e. I would also like to know how much amount the Government of India is going to pay as royalty to the States. In regard to Bihar, I associate myself with Jaiswalji that Bihar going to suffer the most. I would like to know his views and reply on the issues as raised by me.

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आज उनके बयान की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 26-10-89 का जिक्र किया है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा। मंत्री जी से, यह बात मैं किसी पार्टी विशेष या सरकार विशेष से यह सवाल नहीं रख रहा हूँ, यह मामला आज धीरे-धीरे केन्द्र और राज्यों का मामला बनता जा रहा है और कोई भी दल केन्द्र में सरकार बना सकता है और कोई भी दल राज्यों में अपनी सरकारें बना रही हैं। इसलिये इस सवाल को दलगत परिधि से बाहर मैं देख रहा हूँ। मैंने एक

[श्री दिग्विजय सिंह]

प्रयास किया था जब हम लोग सरकार में थे और मैं वह सुझाव भी राज्य मंत्री जी को देना चाहूंगा कि सेस पाने का अधिकार राज्य सरकारों का था और राज्य सरकार अपने मुताबिक सेस को लगाकर अपने खजाने को भरने का काम कर रहे थे। आखिर यह मुद्दमा जिसका फंसना 26-10-89 को हुआ और एक छोटे से तकनीकी कारण की वजह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ जिससे सेस बन्द कर दिया गया। मैं चाहूंगा मंत्री जी से कि क्या इसी सत्र में कोई ऐसा विधेयक लें अथवा जिससे सेस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तकनीकी कारणों से जो रोक दिया गया है, उसे समाप्त किया जा सकता है या नहीं? अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आज जो राज्य सरकारों को आप के ऊपर या ऐसा आपको लगता है या केन्द्र को लगता है कि हम सारे लोग राज्य सरकारों को अपने खजाने से कुछ दे रहे हैं या वह हमारी मरजी पर हैं, यह मामला खत्म हो जायेगा। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि अगर यह संभव हो सके उनके लिये, जो जरूरी है कि सेस के अधिकार को राज्य सरकारों को फिर से उनके हथ में दिया जाये और उसके लिये एक विधेयक इस सत्र में इस सदन के माध्यम से पेश किया जाये।

दूसरी बात, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मंत्री जी, अगर संभव हो सके तो बिहार और बंगाल का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ कोयल सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है और वह क्षेत्र है—घनवाद, झरिया, रानीगंज का इलाका और आज उस इलाके की स्थिति इतनी बदतर हो गयी है कि कोई भी आदमी शाम के 6 बजे के बाद न तो उस इलाके से गुजरना चाहता है और ना वह पर रहना चाहता है। चूँकि आप सारा वहाँ से माल उठते हैं, माल ले आते हैं तो क्या

कोई ऐसी व्यवस्था सरकार इस इलाके के लिये करने जा रही है, जहाँ केन्द्रीय सरकार, मैं यह तो नहीं कह रहा हूँ कि कानून और व्यवस्था को आप अपने हाथ में लीजिये मगर मैं इतना जरूर अपने गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था आप निकालें कि इस इलाके की स्थिति को सुधारा जा सके। पहले माइंस कोर्ट इस इलाके में काम किया करते थे और उन माइंस कोर्ट के काम आज भी लोग यद के तौर पर देखते हैं या जानते हैं, फिर से उस माइंस कोर्ट को, मिनरल कोर्ट को जीवित करके एक नयी जान उसमें फूँकी जा सकती है। अगर आप इन दो सवालों का उत्तर देंगे तो मैं आपके लिये बड़ा उपग्रह होऊंगा। धन्यवाद।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, the statement of the Coal Minister appears to be totally incomplete and not only incomplete but it fails to convince, at least me, in what direction the Government would like to move. I say that the statement is incomplete because in the course of the statement the Minister says that the revision of royalty will be placed on the Table of the House sometime in the future. He has made an important statement before the House but he is not sure what is going to be the scale of revision. This is the incomplete nature and with such incomplete statement the Minister should not come to the House at least on such a sensitive issue. Therefore, I would like to know when the revision is likely to be placed on the Table of the House.

Secondly, Madam, the Minister says that loss sustained by the States or to be sustained by the States will be compensated by the royalty that the States will derive. But at the same time the scale of royalty is not given. Therefore, I would like to know how or in what way the State Governments are going to be convinced that the royalty that the Government is going to impose will compensate the loss. The reason why I am saying so is that the State Governments are

losing or the State Governments are asked to withdraw the cess and in order to be convinced they must be told in categorical terms to what extent the loss is going to be compensated. Without doing this they are leaving the field incomplete and there is an air of suspicion—there is bound to be an air of suspicion in the minds of the State Governments—what something is sought to be taken away from them.

And this suspicion is strengthened because the Minister does not say that he has consulted the State Governments, particularly West Bengal and Bihar wherefrom the major share of coal production is generated in the country. If the State Governments of West Bengal and Bihar have not been consulted, then it is an act of impropriety. Then my second question will be why the Central Government, the Union Government, has thought it fit to formulate this policy on the question of royalty without consulting the states, particularly the major coal producing States, of the country.

Thirdly, as has been stated by a number of honourable Members, there is an erosion in the Government revenue because quite a substantial part of the production of coal is being smuggled away; there is widespread pilferage. And the smuggling and pilferage is taking place not without the connivance of Coal India: not only Coal India, even the CISF. I have with me a number of complaints that CISF itself has been indulging in pilferage in some of the places of West Bengal. Therefore, if the pilferage is not stopped, if the smuggling is not stopped, there is going to be a serious erosion of the revenue of the Government, whether in the form of cess or in the form of royalty. Therefore, my third question will be what steps the Government proposes to take to put an end to or to reduce this erosion of the production of coal leading to the erosion of Government revenue.

Fourthly, when we are discussing the royalty on coal we must discuss another

point. There is a serious complaint in West Bengal that the production of power is seriously affected because of interruption in the supply of coal and as a result of the decline in the supply of power production of coal is also suffering. This is a vicious circle—loss of production of coal is leading to loss of Government revenue. Therefore, my fourth question will be whether the Government has received serious complaints regarding interruption of coal supply to the thermal power plants of West Bengal leading to the curtailment of coal production. And if the Government has received these complaints, what it is going to do to ensure uninterrupted supply of graded coal to the thermal power stations not only to generate power but also to see that coal production takes place at the level it is supposed to, because that is connected with the question of the total revenue.

These are four questions which I would like the Minister to answer.

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) :

माननीय उपसभापति महोदया, हालांकि सागर-मंथन की तरह करीब-करीब सभी सवाल पूछ लिए गए हैं, फिर भी मैं मंत्री जी से चंद सवाल पूछना चाहती हूँ। महोदया, बन्होंने बताया है कि उपकरणों की दरें भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किन-किन राज्यों में ये दरें किस-किस हिसाब से तय की गई हैं ?

महोदया, वक्तव्य में यह कहा गया है कि राज्य सरकारों को रायल्टी से प्राप्त होने वाली आय की तुलना में उपकरणों से अधिक आय हो रही है। तो मैं यह जानना चाहूंगी कि वह आय पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है।

[कुमारी सईदा खतून]

महोदया, मंत्री जी ने बताया है कि राज्य सरकार खनिजों अथवा खनिजों के प्राधिकार पर उपकर लगाने के लिए सक्षम नहीं है तथा इस निर्णय के अनुसरण में अन्य न्यायालय दूसरे राज्यों द्वारा लगाए गए उपकरणों को अमान्य घोषित करते रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि वे कौन-कौन से राज्य हैं जहाँ इन्हें अमान्य घोषित किया गया है?

महोदया, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगी कि खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 में कब संशोधन किया गया था?

महोदया, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में रायल्टी की संशोधित दरों के बारे में कहा है कि वे दरें उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वह तारीख क्या है?

महोदया, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगी कि जहाँ-जहाँ भी कोयला खदानों के लिए लोगों की जमीन ले ली गई थी, उन लोगों के बच्चों को कोयला खदानों में नौकरी देने के लिए क्या सहूलियतें दी गई हैं?

महोदया, मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि कोयला खदानों में जो भी दुर्घटनाएँ होती हैं उनसे प्रभावित होने वाले लोगों के नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है या केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है?

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): In view of the judgement passed by the Supreme Court, my State of Orissa, being the poorest State, will be affected adversely. Now, it appears from the statement that the revised rate would come into effect from the date of its publication in the official Gazette. My question is whether, in order to compensate the States, the Central Government would consider paying royalty with in-

terest from the date of the Supreme Court judgement instead of from the date of publication in the Gazette. My second question is whether the amount still due to the States will be released to them shortly.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. John F. Fernandes.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, we all know that the natural resources of a nation, be it mineral ore, coal, natural gas or oil, come under the Central sector. It was most appropriate for the Supreme Court to have passed the judgement that the cess cannot be collected by the State Governments. I would like to know from the Minister whether in view of this judgement he contemplates bringing about a uniform legislation to debar other States from collecting cess. Presently, cess is being collected by Assam and West Bengal and hence it will not be proper for the Coal Ministry to notify this increase in royalty at this stage. I would also like to know from the hon. Minister whether this fund collected by way of cess by the Central Government would be shared with the States that produce coal because the infrastructure such as supply of potable water, electricity, construction of roads, control of pollution, etc., are provided by the State Governments. Secondly, the hon. Minister is silent as to the royalty that was collected earlier, i.e. in 1981. The Minister has only mentioned that the present royalty is Rs. 70/- per tonne and from the statement I find that it is an upward revision. I would also like to know whether it is true that the Coal India Ltd. is incurring huge losses due to pilferage by the coal coal mafia and it has been said that this is done with the connivance of the CISP. I would like to know from the Minister whether he contemplates having a special security force under the Coal Ministry as is done by the Railways in the form of Railway protection Force. Lastly, coal is also used by the common man for cooking—for domestic consumption. The Finance

Minister has already increased the duty on cooking gas. I would like to know from the Minister whether coal for domestic purposes will be exempt from this duty.

SHRI P. A. SANGMA: Madam, I am grateful to the hon. Members for having participated in this debate... (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not a debate. They are only clarifications.

SHRI P. A. SANGMA: Yes, Madam, I am thankful to them for having asked so many clarifications. These, in fact, have enlightened me and have given me a lot of new ideas and information. I would like to submit that since so many individual points have been raised, it would not be possible for me to answer each and every question. I have noted down every point raised by the hon. Members and I will be writing to each one of them wherever I find the point raised is important and relevant. Now I would like to touch upon the basic points and the basic issues that have been raised by them. First of all, I would like to inform the Members that this decision was taken not because somebody had pressurised us or threatened us. This decision has been taken by the Government in the best interests of the country. I think this decision has been taken by the Government in the best interests of the country and, primarily, to help the State Governments which are really in difficulties. I was the Chief Minister of a State and I know the difficulties being faced by the State Governments and, therefore, this decision has been taken purely on necessity and on merits and nobody pressed for it.

If you look at the coal-producing States and the benefits that would accrue as a result of this particular decision, it would be revealed that, in fact, the benefits are going to the non-Congress (I) States rather than the Congress(I)-ruled States. Therefore, in such matters, I would request the honourable Members not to bring in politics because we cannot afford to play politics on such matters.

Before I deal with the other points, I would like to touch upon one point first which was raised by Mr. Ram Awadhesh Singh—he is here now—about the selection of the new Chairman. The new Chairman has been selected not because he belongs to any particular State. He has been selected because he has been found qualified by the PESB and it is on the basis of merit, competence and qualifications that the Chairman is selected and not because he belongs to a particular State or a particular area.

The main issue raised was why, when the Act provides that the rates of royalty can be revised once in every three years, it has not been revised for the last ten years. Now, Madam, I have given the explanation in the statement itself saying that since the State Governments were imposing very high rates of cess, it was not found necessary to revise the rates of royalty because the State Government's were getting enough revenues out of coal. The necessary arose only when the Supreme Court struck down the cess imposed by the various State Governments and the State Governments could not impose the cess. So, the State Governments then requested us to come to their rescue and the only way to help them was to revise the rate of royalty. So, it is precisely because of the request of the State Governments that we have done this.

Many Members have asked whether, while taking this decision, we have consulted the State Governments. There was a Study Group constituted by the Department and the Study Group did consult the State Governments. When I took over as the Coal Minister last month—it is hardly a month now I had a number of telephone calls from the Chief Ministers of the coal-producing States. In fact, the Bihar Chief Minister has been ringing me up quite often and the Chief Minister of Orissa has rung up and all the Chief Ministers have written letters to the Prime Minister and therefore, there was no question of their asking us to have con-

[Shri P. A. Sangama]

sultation with them. The matter was so urgent that all the Chief Ministers said, "Whatever you may do, you take the decision quickly." Such was the urgency of the matter and, therefore, the question of consulting the State Governments was not very important. It was so urgent. In fact, today, I have got calls from the Chief Ministers—not from the Congress (I) Chief Ministers—from the Chief Minister of Orissa and I have also got a message from the Chief Minister of Bihar. In fact, they are very happy about this decision and they have been very happy about this decision. Therefore, I hope that this decision of increasing the rate of royalty will go a long way in helping the State Governments definitely.

A question has been asked as to why it is Rs. 70/- only and what the basis is for reaching this figure. It has also been asked as to what was in 1981 when it was revised last and whether it has any linkage with the price of coal and, if so, how many times and what the proposal is and so on and so forth. Madam, I would like to give some figures on this... (Interruptions)....

SHRI RAM AWADHESH SINGH:
Madam, (Interruptions)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. I am not allowing you, Mr. Ram Awadhesh Singh. I don't allow (Interruptions) (Interruptions).... Mr. Minister, you do not yield (Interruptions) ... He is not yielding and I will not permit him to yield also. Mr. Minister, you continue. Do not take notice of what he says.... (Interruptions)...

श्री राम अवधेश सिंह : मैं यह ज़ेनिना चाहता हूँ कि... (व्यवधान) ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You answer... (Interruptions) No interruptions...

श्री राम अवधेश सिंह : आप मेरी बात तो सुनिये ।

उपसभापति : राम अवधेश सिंह जी, आप बैठ जाइये ।

You answer. Don't listen to him. I am not permitting. You please speak. I don't allow. (Interruptions) You don't yield. (Interruptions). He is not yielding. I am not permitting him to yield. Yes, Mr. Minister, continue. Do not take note of it. You answer. (Interruptions) You answer, and if he does not listen to my ruling then I will see that he does not sit here while you are answering. (Interruptions) Ram Awadheshji, no interruption. (Interruptions) I said, No. (Interruptions) If you don't behave, please go out of the House.

श्री राम अवधेश सिंह : आप ऐसा क्यों कह रही हैं ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then you sit here keep quiet. (Interruptions) I am not allowing. Keep quiet.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: How can you....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. Otherwise I will get a motion passed and get you out.

Don't yield and don't answer. (Interruptions)

श्री राम अवधेश सिंह : मैं नहीं बैठूंगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Neither you yield nor you answer. (Interruptions) Just don't listen to him. (Interruptions) Just don't listen to him. (Interruptions)

SHRI P. A. SANGMA: This amount of Rs. 70... (Interruptions) It is on an average.

Now, many of the hon. Members have raised (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. What he is talking. Keep quiet. (Interruptions)

You, please leave the House. (Interruptions)

आपको उर्दू में या हिन्दी में, कौन-सी ज़बान में बोलूँ, आप हाउस से बाहर चले जाइये, नहीं तो बैठ जाइये।

श्री राम अच्येश सिंह : नहीं बैठूंगा।

उपसभापति : तो खड़े रहिये।

Stand up. (Interruptions)

Mr. Minister, don't answer a word what he is saying, because it is not going on record and it is not being allowed. (Interruptions)

SHRI P. A. SANGMA: It is precisely because of the reason that there were many (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I said, please keep quiet.

Please. (Interruptions) Please allow the Minister to speak. Don't interrupt.

SHRI P. A. SANGMA: I have said, Madam, that ... (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: You finish your speech, Mr. Minister.

SHRI P. A. SANGMA: Now, the rate of Rs. 70 is calculated on an average. Coal has different grades. And I have said in my statement that the details of rates of royalty will be laid on the Table of the House. The question came, when? That is why Mr. Das Gupta says that the statement is incomplete. Now, this Notification will be issued tomorrow and the different rates will be laid on the Table the day after tomorrow. (Interruptions) And these rate will come into effect from the 1st of August, that is, tomorrow.

Now, regarding the rates, what was the rate in 1981 and what is the rate now. On an average. In 1981 the price of coal, on an average, per tonne was Rs. 128.02 and the rate of royalty at that time was Rs. 5.30. Now, according to the revised of royalty which has been announced today for 191-91, the average price of coal per tonne comes to Rs. 249, and as I have already informed, the royalty is Rs. 70. Therefore, at the time of 1981 the royalty, was about 4.2 per cent of the price, and now, with the new revision it comes to 21.8 per cent. So we have done the maximum for the State Governments.

Now, I will be quickly giving you the basic information that is required.

As of now, before the Supreme Court struck down this thing, the amount of money which was accruing to the respective State Governments in the form of cess as well as royalty combined—which was the point specifically raised by Mr. Shahu—Annually, It was Rs. 1137.38 crores.

[Shri P. A. Sangma]

That was the amount that was accruing to the respective State Governments. With the proposals which have been announced today the amount that will accrue to the State Governments will be Rs. 1349.79 crores.

8.00 P.M.

It is quite a substantial amount of money, and I will just quote the beneficiaries. The highest amount of money—Rs. 541.39 crores—will go to Bihar. The second beneficiary will be Madhya Pradesh with Rs. 334.83 crores. The third will be West Bengal if they choose to take it. The amount is Rs. 176.89 crores. The fourth will be Andhra Pradesh with Rs. 119 crores. And the fifth will be Maharashtra with Rs. 96.31 crores. So, this is the amount.

There is another question that as a result of this increase whether it will have some effect on the price of coal as a whole. Certainly it will have when the royalty is increased. The basic idea was to compensate the lost of the State Governments as a result of cess having been struck down. So, we had no intention of putting additional burden on the consumer in the form of coal price going up as a result of this. But it was a very, very difficult exercise, legal and financial, because the rates of cess that was imposed by the State Governments varied, and the difference was so sharp that it was very difficult, and we tried to bring uniformity and tried to see that the effect does not fall on the consumers. But as I have already stated the figures, since the figure has gone up from Rs. 1137 crores to Rs. 1349 crores it will have a marginal effect on the coal price. And roughly speaking, perhaps, it will make a difference of another Rs. 10. We do not think that it will go more than that. So, this is the basic information which is....

SHRI JAGESH DESAI: Rs. 10 per tonne.?

SHRI P. A. SANGMA: Yes, Rs. 10 per tonne. Madam, there are a few important points that have been raised by

the hon. Members. But I have to apologise to the House that I would not be able to deal with all the points, but I would certainly be writing to the hon. Members.

There was a question whether the price of coal will be increased and that I had made a statement in Ranchi that there is no proposal. I do not think I have ever made a statement that there is no proposal to increase the price of coal. What I had said all along has been that the Coal India has sent a proposal for the increase of price of coal which is under the examination of the Government, and the Government have not taken a final decision. This is precisely what I have said.

SHRI JAGESH DESAI: Now, will it go to the Tariff Commission?

SHRI P. A. SANGMA: Well, I cannot say. But, this is under the examination of the Government. Just I want to correct the record because this is what I have stated on the floor of the House.

Hon. Member Sushmaji made a very important point and I must react to that. In the process of coal-mining, many people get displaced, tribal people and poor people and some rehabilitation has to be done and jobs have to be given to them, at least one from each family, and all sorts of things are there and the agreements thereon. And whether it is successfully or effectively executed or not is to be seen. I am not going to make any comment. One particular thing which has been raised today is that since so much of money is being collected as royalty, whether it is not appropriate and proper on the part of the State Governments to spend at least certain amount of money for the development of those areas where the mining is going on. I quite agree with the suggestion. And I would appeal to all the State Governments that when they spend that money, they should keep in mind that a certain portion of money should be particularly earmarked for the development of the coal-mining areas. I agree with the suggestion of the hon.

Member. On behalf of this House, I would like to appeal to the State Government in this respect. *(Interruptions)* Well constitutionally, and legally, I do not know.

Another question was raised by hon. Member Shri Desai and many others whether this one will be effective from the day of the judgement of the Supreme Court or from tomorrow. It will be effective from tomorrow. It is very difficult for us. It was asked whether the royalty will be calculated on the basis of production figures or on the basis of despatches. I have made it very clear in this House itself the other day in Question Hour that I am not in future going to give much importance to production figures. I will be entirely depending on the despatch figures. So the

royalty will be calculated on the basis of despatch figures.

There are many other points which have been raised in this House. I would have very much liked to answer but time is not there. I assure the House that I will be writing or informing the hon. Members on all the points that have been raised.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stand adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at six minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 1st August, 1991.